


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक—३०.५.१६


संख्या—18 / लो०शि०नि०—14—04 / 2016 ७६९३ / बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा— 1 की उप—धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, 5 जून, 2016 के प्रभाव से, उक्त अधिनियम का प्रवर्तन अधिसूचित करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(अभिषेक सिंह)  
सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक—18 / लो०शि०नि०—14—04 / 2016 ७६९३ / पटना, दिनांक—३०.५.१६

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और उसकी 1000 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—18 / लो०शि०नि०—14—04 / 2016 ७६९३ / पटना, दिनांक—३०.५.१६

प्रतिलिपि:— सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखागार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/टी०सी०एस० कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव